



Neutral Citation-2026: AHC:20762

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 3149 / 2026

हीरालालयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 21 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रशांत शुक्ला, सभा शंकर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय,

1. याचिकाकर्ता ने 26.11.2025 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें केस संख्या 15489/2025, कम्प्यूटराइज्ड केस संख्या T202514360315489 (हीरालाल बनाम ग्राम सभा) में 12.09.2025 को पारित आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था।

2. यह तर्क दिया गया है कि उक्त आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता द्वारा उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत दायर शिकायत को, याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत शुक्ला और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

4. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत याचिकाकर्ता और अन्य लोगों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में, एक तारीख को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। इसके बावजूद, मामले को अनुपस्थिति के आधार पर खारिज करने के बजाय, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया गया और उसे खारिज कर दिया गया, जो कि कानूनन अनुमेय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर बहाली का आवेदन अभी भी विचाराधीन है।

5. इन परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि इस प्रकार के आवेदन को, एक दंडात्मक लागत अधिरोपित करते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए।

6. इन परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में 500/- रुपये की राशि जमा करें।

7. इन परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष दिनांक 26.11.2025 को दायर किया गया बहाली का आवेदन स्वीकार किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष जमा की रसीद प्रस्तुत करता है, तो प्रतिवादी संख्या 4 मामले की बहाली पर एक औपचारिक आदेश पारित करेगा और उसके बाद मामले, जिसका नाम केस संख्या 15489/2025, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202514360315489 (हीरालाल बनाम ग्राम सभा) है, का निर्णय गुण-दोष के आधार पर, शीघ्रता से और निश्चित रूप से दो महीने की अवधि के भीतर करेगा।

8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति, जिलाधिकारी, जौनपुर के माध्यम से, एक सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 4 को प्रेषित करें।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"